<u>न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, छुईखदान जिला—राजनांदगांव(छ.ग.)</u>

(पीठासीन अधिकारीः—संजूलता देवांगन)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—681 / 2022

अपराध क्र.—242 / 2022

प्रकरण संस्थित दिनांक 04.11.2022

पंजीयन दिनांक 04.11.2022

सी.आई.एस. नं. 0000681 / 2022

धारा—392, 411 भा.दं.सं., 1860

अंतिम प्रतिवेदन क्रमांक—237 / 2022

छत्तीसगढ़. राज्य,
द्वारा—आरक्षी केन्द्र छुईखदान,
जिला—राजनांदगांव(छ.ग.) ———————**अभियोजन**

<u>—::विरूद्ध::—</u>

1. विवेक चंद्राकर
पिता—खेलन चंद्राकर,
उम्र—23 साल,
साकिन—ग्राम पेंड्रीकला,
थाना—थान खम्हरिया,
तहसील व जिला—बेमेतरा (छ.ग.)

2. रवि वर्मा
पिता—युवराज वर्मा,
उम्र—27 साल,
साकिन—ग्राम घोटमर्रा,

पुलिस चौकी–देवरबीजा,
थाना–बेमेतरा,
तहसील व जिला–बेमेतरा (छ.ग.) ——————**अभियुक्तगण**

————————————————————————————————

उपस्थित–

अभियोजन द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी–अनुपस्थित।
अभियुक्त क्र. 1 द्वारा, अधिवक्ता–श्री संदीप जैन।
अभियुक्त क्र. 2 द्वारा, अधिवक्ता–श्री राजेश सेन।

————————————————————————————————

–/निर्णय/–

(आज दिनांक 03.04.2024 को घोषित)

01– अभियुक्तगण पर धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (जिसे आगे भा.दं.सं. के नाम से सम्बोधित किया जावेगा) के अंतर्गत यह आरोप है, कि घटना दिनांक 03.09.2022 को ग्राम सुराडबरी में प्रार्थी के घर के सामने मोटर सायकिल से उतरकर अभियुक्त क्र. 1 ने रास्ता पूछने के दौरान उसकी मां कोदिया बाई के गले में पहने माला कीमती 40,000/– को लूटकर ले गया और अभियुक्त क्र. 2 ने अभियुक्त क्र. 1 से प्राप्त समान को लूट का है, जानते हुए 3,000/– गिरवी रखकर अपने कब्जे में रखा।

02– प्रकरण में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अविवादित तथ्य है।

03– अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि दिनांक 03.09.

2022 को ग्राम सुराडबरी निवासी उमेंद जंघेल ने थाना छुईखदान उपस्थित होकर इस आशय का शिकायत किया कि वह ग्राम सुराडबरी में रहकर खेती–किसानी का काम करता है। दिनांक 03.09.2022 के लगभग 02:00 बजे उसकी मां उसके घर के दुकान के सामने बैठी थी और उसकी बहू ललिता बाई जंघेल ग्राहकों को समान दे रही थी। उसी समय दो लड़के मोटर सायकिल में आएं और पीछे बैठा लड़का मोटर सायकिल से उतरकर उसकी मां से रास्ता के बारे में पूछा, तब उसकी मां उसे बतायी कि एक रोड मैन्हर एवं दूसरा रोड उदयपुर की ओर जाता है। उसी समय उसकी बहू समान लेने अंदर गयी। उसी समय नीचे उतरा लड़का उसकी मां के गले में पहने हुए माला, जिसमें तीन पत्ती सोने का, छः नग गेहूं दाना सोने का लगभग डेढ़ तोला कीमती लगभग 40,000 / – को छिनकर भागा।

04– अभियोजन का मामला आगे संक्षेप में इस प्रकार है, कि वह लड़का तत्काल गाड़ी में बैठा और दोनों ग्राम मैन्हर की ओर भाग गए तभी उसकी बहू दुकान से डण्डा लेकर दौड़ायी फिर उसकी बहू रोशनी जंघेल उदान की मितानिन राधिका जंघेल को फोन की। उस समय राधिका जंघेल ग्राम तेंदुभाठा में थी। उसने भागते हुए दोनों लड़कों को रोका तो थोड़ी देर के लिए वे दोनों लड़के रूके थे तभी उसने अपने मोबाईल फोन में पीछे से उनका फोटो खींची। जिसमें गाड़ी नंबर यू.पी. 32–डी.–2489 में दोनों लड़के दिख रहे हैं। उसका छोटा भाई शत्रुहन जंघेल 112 नंबर डॉयल कर फोन पर खींचे हुए फोटो

को भेज दिया। फिर गंडई डॉयल 112 नंबर वाले उनका पीछे किए। पीछा करने के दौरान दोनों लड़के गंडई की नहर–नाली की ओर मोटर सायकिल को छोड़कर भाग गए।

05– अभियोजन का मामला आगे संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रार्थी उमेंदराम जंघेल के मौखिक शिकायत पर थाना छुईखदान में अपराध क्र. 298 / 2022 धारा 392 भा.दं.सं. के तहत अभियुक्तगण मोटर सायकिल यू.पी. –32–डी.–2489 में आए दो अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रार्थी के बताए अनुसार तैयार किया गया। अभियुक्तगण का मेमोरेण्डम कथन लिया गया। विधि अनुसार जप्ती की कार्यवाही गवाहों के समक्ष की गयी। प्रार्थी एवं गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त विवेक चंद्राकर, रवि वर्मा के विरूद्ध सदर अपराध सबूत पाए जाने से उसे विधिवत् गिरफ्तार उनके परिजन को सूचना देने के पश्चात् किया गया। प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त अवधराम ध्रुव के फरार होने से सम्पूर्ण विवेचना पश्चात् यह अभियोग पत्र क्र. 237 / 2022 दिनांक 04.11.2022 अंतर्गत धारा 392, 411 भा.दं.सं. न्यायालय में कार्यवाही हेतु अभियुक्तगण के विरूध्द पेश किया गया।

06– अभियुक्त क्र. 1 विवेक चंद्राकर को धारा 392 सहपठित धारा 34

भा.द.सं. एवं अभियुक्त क्र. 2 रवि वर्मा को धारा 411 भा.दं.सं. के अंतर्गत पृथक–पृथक आरोप पत्र विरचित कर उसकी विशिष्टियां पढ़कर सुनाए समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने अपना–अपना अपराध करना अस्वीकार किया, विचारण चाहा। अभियुक्तगण का अभिवाक् उनके शब्दों में दर्ज किया गया।

07– अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में उनके विरूद्ध आए तथ्यों के स्पष्टीकरण के संदर्भ में धारा 313 द.प्र.सं. के अधीन परीक्षण किये जाने पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं देने का कथन किया है।

08– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन ने अपने पक्ष समर्थन में कोदिया बाई **(अ.सा.1),** जीवनराम जंघेल **(अ.सा.2),** ललिता जंघेल **(अ.सा.3),** प्रार्थी उमेंदराम जंघेल **(अ.सा.4),** राधिका जंघेल **(अ.सा5),** रोशनी जंघेल **(अ.सा.6),** शत्रुहन जंघेल **(अ.सा.7),** दयानंद सेन **(अ.सा.8),** श्रीराम साहू **(अ.सा.9),** दिलीप साहू **(अ.सा.10),** जेल मुख्य प्रहरी सुभाष चंद्र भोई **(अ.सा.11),** जेल प्रहरी अखिलेश जायसवाल **(अ.सा.12),** प्रतीक कोचर **(अ.सा.13),** राजस्व निरीक्षक योगेश धनगुन **(अ.सा.14),** कमलेश वर्मा **(अ.सा.15),** सखाराम वर्मा **(अ.सा.16),** पटवारी गोविंद जोशी **(अ.सा.17),** तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा **(अ.सा.18)** एवं निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे **(अ.सा.19)** का न्यायालयीन परीक्षण कराया है।

09– अभियोजन के द्वारा दस्तावेजी प्रमाण स्वरूप घटना स्थल का पटवारी नजरी नक्शा **(प्र.पी.1),** अभियुक्त विवेक चंद्राकर का मेमोरेण्डम कथन **(प्र.पी.2),** अभियुक्त रवि वर्मा का मेमोरेण्डम कथन **(प्र.पी.3),** संपत्ति जप्ती पत्रक क्रमशः **(प्र.पी.4 एवं प्र.पी.5),** अभियुक्त विवेक चंद्राकर का गिरफ्तारी पत्रक **(प्र.पी.6),** अभियुक्त रवि वर्मा का गिरफ्तारी पत्रक **(प्र.पी.7),** प्रथम सूचना रिपोर्ट **(प्र.पी.8),** घटना स्थल का नजरी नक्शा **(प्र.पी.9)**, गवाह श्रीराम साहू का पुलिस कथन **(प्र.पी.10)**, गवाह दिलीप साहू का पुलिस कथन **(प्र.पी.11)**, शिनाख्ती मेमो क्रमशः **(प्र.पी.12 एवं प्र.पी.14)**, जप्तशुदा वस्तु का तौल पंचनामा **(प्र.पी.13)**, अभियुक्त अवधराम ध्रुव का फरारी पंचनामा **(प्र.पी.15)।**

10– जप्तशुदा मोटर सायकिल के संबंध में किया गया पत्र व्यवहार दिनांक 17.10.2022 **(प्र.पी.16)**, फरार अभियुक्त अवधराम ध्रुव की चल–अचल संपत्ति की जारी चाहने बाबत् किया गया पत्र व्यवहार दिनांक 26.10.2022 **(प्र.पी.17)**, पुलिस अधीक्षक के.सी.जी. (छ.ग.) को अभियोग पत्र पेश करने की अनुमति बाबत् किया गया पत्र व्यवहार दिनांक 30.10.2022 **(प्र.पी.18)** एवं अभियोग पत्र **(प्र.पी.19)** को साक्ष्य में प्रदर्श अंकित कराया है।

बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह क्रमशः कोदिया बाई, ललिता जंघेल, उमेंदराम जंघेल, राधिका जंघेल, रोशनी जंघेल एवं शत्रुहन जंघेल के पुलिस कथन को **(प्र.डी.1, प्र.डी.2, प्र.डी.3, प्र.डी.4, प्र.डी. 5 एवं प्र.डी.6)** से प्रदर्श अंकित कराया गया है।

11— **प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु हैं :—**

01. क्या अभियुक्त क. 1 ने घटना दिनांक 03.09.2022 के समय 14:00 बजे या उसके लगभग थाना छुईखदान जिला राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम सुराडबरी में प्रार्थी के घर के सामने एक अन्य सहअभियुक्त रवि वर्मा के साथ मिलकर लूट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में मोटर सायकिल से उतरकर रास्ता पूछने के दौरान उसकी मां कोदिया बाई के गले में पहने माला जिसमें तीन पत्ती सोने एवं छः नग सोने का गेहूं दाना कीमती 40,000 / — को कोदिया बाई के कब्जे से बिना किसी सम्मति के बेईमानी पूर्वक सदोष अभिलाभ पाने के आशय से हटाकर लूट कारित किया ?

02. अभियुक्त क. 2 ने उक्त घटना, दिनांक एवं समय पर अभियुक्त क. 1 द्वारा किया गया कृत्य से प्राप्त समान लूट का है, जानते हुए उसे 3,000 / — में गिरवी रखकर अपने कब्जे में रखा ?

03. दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति, यदि कोई हो।

<u>—:: विवेचना के सकारण निष्कर्ष ::—</u>

<u>अवधारणीय बिन्दु क्र.—1 एवं 2 पर सकारण निष्कर्ष—</u>

साक्ष्यों की पुनरावृत्ति एवं तथ्यों के दोहराव को रोकने के लिए सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 02 तक का निराकरण एक

साथ किया जा रहा है।

12— अभियोजन ने मामला प्रमाणित करने हेतु साक्षियों की श्रृंखला में पीड़िता कोदिया बाई (अ.सा.1) का न्यायालयीन कथन कराया है। उक्त साक्षी के कथनानुसार वह अभियुक्तगण को जानती एवं पहचानती है। जिस दिन खैरागढ़—छुईखदान—गंडई को जिला बनाने का कार्यक्रम हो रहा था उसी दिन वह अपने घर के दुवारी में बैठी थी तभी मोटर सायकिल सवार दो व्यक्ति आएं और आगे बैठा हुआ व्यक्ति पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आगे हुआ। जिसमें से एक ने उसके पास आकर उसके गले में पहने हुए सोने की पत्ती को दोनों हाथों से खींचकर निकाल लिया। उसके तुरंत बाद दोनों व्यक्ति मोटर सायकिल में बैठकर फरार हो गए। तीन मोटर सायकिल में उनके बच्चे लोग दोनों व्यक्तियों का पीछा करते हुए पकड़ने के लिए गए परंतु उन्हें पकड़ नहीं पाए। दोनों व्यक्ति उदान की तरफ जाने लगें तब उसकी बहू के साथ काम करने वाली मितानिन को फोन करके अभियुक्तगण का हुलिया बताया गया। मितानिन राधिका ने उन दोनों व्यक्तियों को मोटर सायकिल सहित रोका। गाड़ी रोकते समय झुकने पर उनका मोबाईल से फोटो लिया। दोनों अभियुक्तगण वहां से भाग गए। उसके बाद उसके बेटे लोग 112 नंबर को फोन करके अभियुक्तगण का पीछा करते हुए गंडई तक गए।

13— अभियोजन साक्षी क्र. 1 के आगे कथन अनुसार सकरा रास्ता होने

के कारण चारपहिया वाहन वहां पर नहीं जा सका इसलिए दोपहिया वाहन से जाकर पुलिस वाले उनको पकड़े। अभियुक्तगण को पकड़ने पर पुलिस वाले जांच किए। न्यायालयीन प्रश्न में साक्षी ने प्रदर्श पी. 1 के नक्शा को उसके समक्ष बनाया जाना बताया है तथा जप्त सोने की पत्ती को उसे थाना में दिखाए जाने का कथन की है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार उसने मोबाईल में किसका फोटो था और किसका था वह नहीं देखी थी। पुलिस वालों के बताए अनुसार वह अभियुक्तगण को पहचानी। पुलिस वाले थाना में लूट किए गए सोना की पत्ती को उसे दिखाए थे इसलिए उस सोने की पत्ती को उसने अपना होना बताया है परंतु पुलिस वाले उक्त सोने की पत्ती को किसके पास जप्त किए और कहा से लाए वह नहीं जानता। साक्षी का स्वतः कथन है, कि उसे सॉलोनी जेल में ले जाकर अभियुक्तगण है कहकर 6–7 लोग को दिखाए थे और सभी को कम्बल ओड़ाए हुए थे। पटवारी नजरी नक्शा को उससे पूछकर नहीं बनाया गया था। अपने बेटे और पुलिस के कहने पर उसने किस दस्तावेज पर अंगुठा लगाया था की जानकारी उसे नहीं है। पुलिस वाले जेल के लोगों को बुलवाए थे तब उनके साथ उन लोग भी उपस्थित थे।

14– जीवनराम जंघेल (अ.सा.2) के अभिसाक्ष्य अनुसार जब वह अपने निजी कार्य से थाना छुईखदान आया था तब पुलिस वाले उससे 3–4 कागजात पर हस्ताक्षर कराए थे। कागजात पर हस्ताक्षर करते समय कोई लिखापढ़ी नहीं हुयी थी। उसने पुलिस के कहने पर कागजात पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने

अभियुक्तगण का मेमोरेण्डम कथन, अभियुक्त विवेक चंद्राकर से लूट की गयी सोने की पत्ती का बिक्री रकम 1,500 / – तथा अभियुक्त क्र. 1 द्वारा बेचे गए सोने से प्राप्त रकम 3,000 / – की जप्ती कार्यवाही से इंकार किया है। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को उसके समक्ष पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार उसे खुड़मुड़ी निवासी दयानंद से और पुलिस वाले थाना में शराब के मामले में पूछताछ करने के लिए लाए थे और बिठाकर रखे थे। साक्षी ने आगे इस बात को स्वीकार किया है, कि पुलिस वाले थाना में उन लोगों से बहुत सारे हस्ताक्षर करवाए थे। पुलिस ने कोई पूछताछ उन लोगों से नहीं किया था और ना ही पुलिस वाले क्या लिखापढ़ी कर रहे हैं उक्त संबंध में पढ़कर उसे बताए थे।

15– ललिता जंघेल (अ.सा.3) के अभिसाक्ष्य अनुसार प्रार्थिया कोदिया बाई उसकी सास है एवं अभियुक्त क्र. 1 को घटना दिनांक से जानती एवं पहचानती है। खैरागढ़ जिला जिस दिन बना उसी दिन वह अपने मकान में स्थित दुकान में बैठी थी। उसकी सास दुकान के सामने बैठी थी तभी दोपहर लगभग 01:30 बजे बाईक में सोहागपुर की तरफ से आकर उनके दुकान के सामने उसकी सास से खैरागढ़ का रास्ता किधन पड़ता है कहकर पूछे। उसी दौरान बाईक के पीछे बैठा व्यक्ति बाईक से उतरा और उसकी सास के गले में पहनी सोने के पत्ती का माला को छिनकर फिर से गाड़ी में बैठ गया। उसकी सास उनको दौड़ायी परंतु वह उन तक नहीं पहुंच पायी। दोनों अभियुक्तगण

मैन्हर रोड में आगे बढ़ गए और वह अपने दुकान में आकर अपने जेठ शत्रुहन जंघेल को घटना की जानकारी दी। तब वह बाईक से अभियुक्तगण का पीछा करने चले गया। उसके बाद वह घटना की जानकारी अपनी जेठानी रोशनी जंघेल को दी। उसके बाद उसने सुपरवाईजर राधिका जंघेल जो उस समय तेंदुभाठा में मिटिंग ले रही थी को कॉल कर घटना से अवगत करायी और बाईक में बैठकर जा रहे दोनों व्यक्तियों को रोकने के लिए बोली।

16– अभियोजन साक्षी क्र. 3 के आगे कथन अनुसार सूचना पाकर राधिका जंघेल द्वारा अभियुक्तगण को रोकने का प्रयास की। अभियुक्तगण कुछ क्षण वहां रूकें। इतने में राधिक जंघेल अभियुक्तगण का फोटो ली, जिसमें अभियुक्तगण पीछे मुड़कर देखते हुए दिख रहे हैं और उसमें गाड़ी का नंबर भी दिखा था। घटना के संबंध में उसकी सास और जेठ ने थाना छुईखदान में आकर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट कराया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है, कि उसकी सास बुजुर्ग हो चुकी है तथा उसके आंख और कान कमजोर हो गए हैं। घटना के समय वह दुकान के अंदर थी। घटना स्थल के सामने बीचो–बीच आम रास्ता गया है। उसकी सास कोदिया बाई आवाज लगायी परंतु आसपास के कोई लोग नहीं आए। साक्षी ने आगे इस बात को स्वीकार किया है, कि घटना स्थल आम रोड होने के कारण वहां पर लोगों का आना–जाना लगा रहता है।

17– उमेंद जंघेल (अ.सा.4) के अभिसाक्ष्य अनुसार प्रार्थिया उसकी मां है और अभियुक्त विवेक चंद्राकर को वह घटना दिनांक से जानता है। घटना के दिन तीन तारीख को खैरागढ़–छुईखदान–गंडई की जिला घोषणा हुआ था। उस समय वह गोपी किराना स्टोर्स पर बैठा था। जहां से वह अपने घर आया तो देखा कि घर के पास भीड़ लगी थी। तब उसने अपनी मां से उसका कारण पूछा। उसकी मां ने बताया कि दो व्यक्ति उसकी माला को छिनकर ले गए और उसके अन्य शत्रुहन और लीला सभी अभियुक्तगण के पीछे उन्हें पकड़ने के लिए गए हैं तब वह भी बाईक पकड़क बुंदेली की ओर निकला। अभियुक्तगण के नहीं मिलने पर वापस अपने घर आकर 112 को डॉयल कर घटना के संबंध में सूचना दिया। तब थाना छुईखदान के टी.आई. ने सी.एम. ड्यूटी में व्यस्त होना बताकर घटना स्थल पर दूसरे दिन आकर देखना बताया और शाम को रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। तब वे लोग थाना छुईखदान में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रदर्श पी. 8 का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट के बाद पुलिस वाले घटना स्थल पर आकर नजरी नक्शा तैयार किए थे। पटवारी नजरी नक्शा उसके समक्ष तैयार कर घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया गया था।

18– उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार घटना के संबंध में पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। घटना के समय वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था इसलिए घटना के संबंध में उसने व्यक्तिगत जानकारी नहीं

है और वह अपनी मां कोदिया बाई के बताए अनुसार घटना के बारे में बता रहा है। उनका दुकान रोड के किनारे हैं। घटना स्थल दुकान के पास रेखा जंघेल, चमरू जंघेल, दिलहरण, माखन, बिरबल एवं कौशल का मकान एवं ब्यारा है। आम रोड होने के कारण वहां पर लोगों का आना–जाना लगा रहता है। राधिका जंघेल (अ.सा.5) के अभिसाक्ष्य अनुसार वह अभियुक्त विवेक चंद्राकर को जानती एवं पहचानती है। घटना 03 सितम्बर, 2022 की है। उस दिन लगभग 11–01 बजे के बीच सुराडबरी के मितानिन रोशनी जंघेल ने उसे फोन करके बताया कि किसी महिला के गले में पहने हुए सोना के माला को छिनकर अभियुक्तगण बाईक से सुराडबरी के होते हुए दनिया की ओर भाग रहे थे, जिसमें से एक अभियुक्त नीला शर्ट पहना हुआ था और दोनों का रंग सांवला था। सूचना मिला तब वह तेंदुभाठा उप स्वास्थ्य केन्द्र में कार्य कर रही थी, जिसे छोड़कर वह रास्ते में निकली।

19– अभियोजन साक्षी क्र. 5 के आगे कथन अनुसार रास्ते में निकले के बाद उसने दोनों अभियुक्तगण को बाईक में वहां पर देखा। उस समय वे लोग गाड़ी को धीरे चला रहे थे तब उसने उनको रोका। अभियुक्तगण उससे रास्ते के बारे में पूछे तब उसने उनको बताया कि वह रोड गंडई से दनिया की ओर जाता है। उसके बाद उसने उनका फोटो मोबाईल से लिया। दूसरी बार फोटो लेने के दौरान पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मुड़कर देखा। अभियुक्तगण बाईक से आगे की ओर चले गए। उसके अपने मोबाईल से खींचा हुआ फोटो रोशनी जंघेल के

मोबाईल में भेजा। न्यायालयीन प्रश्न में साक्षी ने घटना के दूसरे दिन पुलिस वाले ग्राम दनिया गए थे उसी समय घटना के बारे में पूछताछ कर उसका बयान लिए थे का कथन की है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार पुलिस वाले अभियुक्तगण का खींचा गया फोटो को जप्ती नहीं किए थे। साक्षी का स्वतः कथन है, कि 10—15 मिनट तक पुलिस वाले मोबाईल को रखे थे उसके बाद मोबाईल उसको वापस कर दिए। जिनको मोटर सायकिल में बैठे देखना एवं फोटो की खींचना बताया है कि पहचान कार्यवाही पुलिस ने उससे नहीं करवायी थी। साक्षी का स्वतः कथन है कि पुलिस वाले स्वयं फोटो को देखकर लिखापढ़ी किए थे। उसने दो फोटो खींचा था एवं फोटो स्पष्ट दिखायी दे रहा था, उक्त फोटो आज भी उसके मोबाईल में है। घटना के समय वह दूसरे गांव में थी इसलिए क्या घटना हुयी इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। रोशनी जंघेल जितनी बातें उसने बतायी थीं उतनी ही बातें वह जानती हैं।

20— रोशनी जंघेल (अ.सा.6) के अभिसाक्ष्य अनुसार प्रार्थी उसके बड़े जेठ है और वह दोनों अभियुक्तगण को उनके कपड़े से पहचान सकती है का कथन की है। घटना 03 सितम्बर, 2022 की दिन की है, जिस दिन के.सी.जी. जिला बना था। घटना के दिन दोपहर लगभग 02:00 बजे पानी गिर रहा था तब वह अपने खेत से घर वापस आयी थी। पानी बंद होने के बाद उसकी सास दुकान के सामने खड़ी थी उसी समय बाईक सवार दो व्यक्ति वहां पर आएं और उसकी सास से कुछ पूछ रहे थे, जिसे वह घर के बाहर स्थित नहानी घर से

देख व सुन रही थी। उन लोगों की बातें उसे वहां से स्पष्ट सुनायी दे रही थी। उसके तुरंत बाद उसकी सास बचाओ–बचाओ कहकर चिलाने लगी। तब वह नहाने से निकलकर उनके पास दौड़कर गयी। बाईक सवार व्यक्ति गाड़ी को मोड़कर भाग रहे थे, जिन्हें वह देखी। उसकी सास उस समय बचाओ–बचाओ कहकर बाईक वाले के पीछे–पीछे जा रही थी और उसकी देवरानी ललिता जंघेल भी पीछे भाग रही थी।

21– अभियोजन साक्षी क्र. 6 के आगे कथन अनुसार वह नहानी घर से तुरंत निकलने के कारण वैसी स्थिति में उनके पीछे ज्यादा दूर तक नहीं भाग पायी। उसी समय उसके जेठ बेटे लोग वहां पर आएं और वे लोग भी अपने बाईक से उन बाईक वालों के पीछे गए। उसका पति उस समय घर पर था, जिसे घटना के बारे में बताने पर वह भी तुरंत अभियुक्तगण के पीछे बाईक लेकर निकल गया। उसके जेठ उमेंद जंघेल जब खेत से वापस आया तो घटना के बारे में पूछने के बाद वह भी तुरंत बाईक लेकर अभियुक्तगण के पीछे गए। तब वह तेंदुभाठा में कार्य कर रही मितानिन राधिका जंघेल को घटना के बारे में बतायी और यह भी बतायी कि दोनों में से एक व्यक्ति लाल रंग का शर्ट और गमछा पहना हुआ है और दूसरे ने नीला रंग का शर्ट पहना हुआ है। बात करने के दौरान राधिका जंघेल ने उसे बताया कि जिस तरह उसने उन व्यक्तियों की पहचान बतायी है वे लोग उधार से आ रहे हैं, जिन्हें वह रोकवाने की कोशिश की तब अभियुक्तगण अपने गाड़ी को धीमा चला रहे थे। अभियुक्तगण के रूकने

पर राधिका जंघेल ने उनका फोटो खींचा जिसमें अभियुक्तगण, गाड़ी एवं गाड़ी का नंबर दिख रहा था। राधिका जंघेल द्वारा खीचे गए फोटो को उसने उसके मोबाईल पर भेजा तब वह पहचान गयी कि वे दोनों वहीं व्यक्ति हैं, जिन्होंने ने उसकी सास से उसके गले में पहने हुए सोने की पत्ती को खींचकर ले गए हैं। उसके पति अभियुक्तगण का पीछा करते हुए बंदेली तक गए थे, जिनके वापस आने पर उसने उसे अभियुक्तगण का फोटो दिखाया।

22– अभियोजन साक्षी क्र. 6 के आगे कथन अनुसार तब उसका पति ने 112 नंबर में फोन लगाया और पुलिस को फोटो को भेजा, जिसके बाद पुलिस वाले अभियुक्तगण को पकड़ने के लिए कार्यवाही किए। चोर के पकड़ने के पश्चात् पुलिस वाले ग्राम सुराडबरी स्थित उनके घर के पास आए थे उसी समय घटना के संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिए थे। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार पुलिस ने अभियुक्तगण के संबंध में उससे कोई पहचान कार्यवाही नहीं करवाया था और ना ही उसका मोबाईल जप्त किए थे। वह जिस बॉथरूम में नहा रही थी वह खुला बॉथरूम है। साक्षी का स्वतः कथन है, कि पुलिस ने जैसा बयान लिखा है उसने वैसा बयान दी थी। मितानिन राधिका जंधेल द्वारा जो फोटो उसे भेजा गया था वहीं फोटो उसने पुलिस वालों को बतायी थी। साक्षी ने इस बात से इंकार की है, कि वह घटना के समय नहा रही थी इसलिए उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी का स्वतः कथन है, कि पुलिस वाले जो पूछे वह उसका जवाब दी है। कोदिया बाई उसके

जेठ उमेंदराम के साथ रहती है और वे लोग सब अलग–अलग रहते हैं। सुराडबरी मेन रोड पर है तथा डामर रोड है जहां पर बहुत सारे गांव के लोगों का मोटर सायकिल से आना–जाना लगा रहता है।

23– शत्रुहन जंघेल (आ.सा.4) के अभिसाक्ष्य अनुसार घटना वर्ष 2022 के तीन तारीख की है, जिस दिन खैरागढ़–छुईखदान–गंडई को जिला घोषित किया गया। घटना दिनांक को लगभग डेढ़ से दो बजे के बीच बारिश हो रहा था। उस समय वह खेत से काम करके वापस आया। नहाने–धोने के पश्चात् घर के सोफा में बैठा था और उसकी पत्नी बाहर नहा रही थी, जिसने उसे बताया कि मां चिल्ला रही है। सूचना मिलते ही तुरंत बाहर निकलते देखा तो उसकी मां सोने के चैन को लेकर गया कहते हुए चिल्ला रही थी और उससे 100 फीट आगे उसकी छोटी बहू चोर लोगों के पीछे उनको दौड़ाते हुए जा रही थी। घर आकर तुरंत कपड़े पहनने के बाद मोबाईल और गाड़ी को लेकर वह भी चोर के पीछे निकला। वह पेट्रोल–पंप बुंदेली अभियुक्तगण की होने की आशंका होने पर वहा तक गया। वापस आने पर उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उदान में रहने वाले उसकी मितानिन दीदी तेंदुभाठा में मिटिंग ले रही थी, जिसने चोर लोगों का फोटो खींचकर उसके मोबाईल में भेजा है और उसे फोटो को उसकी पत्नी ने उसके मोबाईल में भेजा। पुलिस को 112 नंबर डॉयल कर घटना की सूचना उसने पहले ही दे दी थी। उसके पश्चात् गंडई के सुरेश पटेल को उक्त फोटो को भेजा। शाम को सुरेश पटेल का फोन आने पर उसे जानकारी हुआ कि

अभियुक्तगण लोग गंडई नहर–नाली के पास मोटर सायकिल को छोड़कर भाग गए, जिनका पीछा किया गया।

24– अभियोजन साक्षी क. 7 के प्रतिपरीक्षण अनुसार उसने कोई घटना घटित होते हुए एवं अभियुक्तगण को नहीं देखा था। साक्षी का स्वतः कथन है कि मोबाईल में भेजी गयी फोटो से देखा था एवं 112 वालों का उक्त फोटो भेजा था। घटना के संबंध में पुलिस वाले पूछताछ कर उसका बयान लिए थे। कोदिया बाई उसकी मां है और वह बुजुर्ग हो गयी है परंतु साक्षी ने इस बात से इंकार किया है, कि बुजुर्ग होने के कारण उसकी माता जी का आंख, कान कमजोर हो गया है। दयानंद सेन (अ.सा.8) के अभिसाक्ष्य अनुसार वह जब अपने निजी काम से थाना छुईखदान आया था तब पुलिस के कहने पर उसने कागजात को पढ़े बिना चार से पांच कागजात पर अपना हस्ताक्षर किया था। न्यायालयीन प्रश्न में साक्षी ने अभियुक्तगण का मेमोरेण्डम कथन, अभियुक्त विवेक चंद्राकर से लूट की गयी सोने की पत्ती का बिक्री रकम 1,500 / – तथा अभियुक्त क. 1 द्वारा बेचे गए सोने से प्राप्त रकम 3,000 / – की जप्ती कार्यवाही से इंकार किया है। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को उसके समक्ष पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार पुलिस वाले उसे दारू के प्रकरण में थाना बुलाए थे इसलिए वहीं प्रकरण है कहकर पुलिस के कहने पर बिना पढ़े कागजात पर हस्ताक्षर कर दिया था। अभियुक्तगण कौन है और कहा रहते हैं इस संबंध में उसे जानकारी नहीं है।

25– श्रीराम साहू (अ.सा.9) के अभिसाक्ष्य अनुसार वह प्रार्थी, पीड़िता एवं अभियुक्तगण को जानता एवं पहचानता नहीं है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। न्यायालयीन प्रश्न में साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी. 10 के अ से अ भाग के कथन को देने से इंकार किया है। दिलीप साहू (अ.सा. 10) के अभिसाक्ष्य अनुसार वह प्रार्थी, पीड़िता एवं अभियुक्तगण को जानता एवं पहचानता नहीं है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। न्यायालयीन प्रश्न में साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी. 11 के अ से अ भाग के कथन को देने से इंकार किया है। जेल मुख्य प्रहरी सुभाष चंद्र भोई (अ.सा.10) के अभिसाक्ष्य अनुसार तहसीलदार के आदेश पर उसके द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही की व्यवस्था करवाया गया था। उसकी उपस्थिति में शिनाख्ती कार्यवाही कर प्रदर्श पी. 12 का मेमो तैयार किया गया। शिनाख्ती कार्यवाही में विवेक चंद्राकर के अलावा अन्य 09 व्यक्ति भी थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अन्य मिलाए गए व्यक्तियों के नाम एवं पता याद नहीं होना बताया है। साक्षी द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही कार्यापालिक दण्डाधिकारी के द्वारा किया जाना के कथन को सही होना बताया गया है तथा बचाव पक्ष की ओर से पूछे गए शेष कथनों से इंकार किया गया है।

26– जेल प्रहरी अखिलेश जायसवाल (अ.सा.12) के अभिसाक्ष्य अनुसार तहसीलदार के आदेश पर उसके द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही की व्यवस्था करवाया गया था। उसकी उपस्थिति में शिनाख्ती कार्यवाही कर प्रदर्श पी. 12 का मेमो

तैयार किया गया, जिसके ब से ब भाग पर उसका हस्ताक्षर है। शिनाख्ती कार्यवाही में विवेक चंद्राकर के अलावा अन्य 09 व्यक्ति भी थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने अन्य मिलाए गए व्यक्तियों के नाम एवं पता याद नहीं होना बताया है। साक्षी द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही कार्यापालिक दण्डाधिकारी के द्वारा किया जाना के कथन को सही होना बताया गया है तथा बचाव पक्ष की ओर से पूछे गए शेष कथनों से इंकार किया गया है। प्रतीक कोचर (अ.सा.13) के अभिसाक्ष्य अनुसार थाना छुईखदान के पुलिस द्वारा आपराधिक मामले में जप्तशुदा सोने की पत्ती का तौल पंचनामा कराया गया था, जिसमें तीन पत्ती एक बड़ा और दो छोटा था। बड़ा पत्ती का वजन 1.480 मिलीग्राम तथा छोटा पत्ती का वजन क्रमशः 0. 620, 0.540 मिलीग्राम कुल 2.640 मिलीग्राम वजन पाया गया पश्चात् प्रदर्श पी. 13 का तौल पंचनामा तैयार किया गया।

27– अभियोजन साक्षी क्र. 13 के प्रतिपरीक्षण अनुसार वह सोने–चांदी के गहने को बेचने का कार्य करता है। तथा–कथित सोने की पत्ती तीन नग पुलिस वाले कहा से और किससे लाए थे, इसकी जानकारी उसे नहीं है। प्रदर्श पी. 13 की तौल पंचनामा कार्यवाही जिन लोगों के समक्ष किया गया उसका उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उनका हस्ताक्षर है। कोई धातु सोने की है या नहीं उस पर जांचने के लिए अन्य विधियां हैं। किसी भी धातु को छूकर यह नहीं बताया जा सकता कि वह कौन सी धातु का है। योगेश धनगुन (अ.सा.14) के अभिसाक्ष्य अनुसार वह उदयपुर सर्किल का राजस्व निरीक्षक है।

दिनांक 21.09.2022 को एक महिला जिसका नाम उसे याद नहीं है का सोना प्राप्त होने पर उसकी उपस्थिति में तहसीलदार, छुईखदान द्वारा पहचान कार्यवाही करवाया गया पश्चात् प्र.पी. 14 का शिनाख्ती मेमो तैयार किया गया जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार पुलिस वाले सोना कहां से और किससे लाए थे इसकी जानकारी उसे नहीं है। पहचान कार्यवाही के समय पुलिस वाले सोना लेकर उपस्थित हुए थे।

28– कमलेश वर्मा (आ.सा.15) के अभिसाक्ष्य अनुसार वह अभियुक्तगण को जानता एवं पहचानता नहीं है। पुलिस वाले उनके गांव सिंगपुर अभियुक्त अवधराम ध्रुव को ढुंढने के लिए आए थे और वह नहीं मिला तब प्र.पी. 15 का फरारी पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया। जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है। सखाराम वर्मा (आ.सा.16) के अभिसाक्ष्य अनुसार वह अभियुक्तगण को जानता एवं पहचानता नहीं है। पुलिस वाले उनके गांव सिंगपुर अभियुक्त अवधराम ध्रुव को ढुंढने के लिए आए थे और वह नहीं मिला तब प्र.पी. 15 का फरारी पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया। जिसके ब से ब भाग पर उसका हस्ताक्षर है। पटवारी गोविंद जोशी (आ.सा.17) के अभिसाक्ष्य अनुसार तहसीलदार छुईखदान के आदेशानुसार प्रार्थी के घर के सामने सुराडबरी का पटवारी नक्शा प्र.पी. 1 तैयार किया गया। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार घ टना स्थल आम रोड है। तहसील कार्यालय से ज्ञापन मिलने के बाद वह घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था।

29– तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा (अ.सा.18) के अभिसाक्ष्य अनुसार दिनांक 21.09.2022 को थाना छुईखदान के अप.क्र. 242 / 2022 अंतर्गत धारा 392 भा.द.सं. में अभियुक्त विवेक चंद्राकर से जप्त सोने के गले की तीन पत्ती एक बडी, दो छोटी की शिनाख्ती कार्यवाही तहसील कार्यालय छुईखदान में योगेश एवं भुनेश्वर के समक्ष की गयी। शिनाख्ती कार्यवाही के दौरान प्रार्थिया कोदिया बाई ने उक्त आभूषण को छुकर पहचाना। शिनाख्ती की प्रक्रिया तीन बार स्पष्ट रोशनी में कराया गया पश्चात् प्र.पी. 14 का शिनाख्ती मेमो तैयार किया गया। उसी दिनांक को प्रकरण के अभियुक्त विवेक चंद्राकर की पहचान उपजेल सलोनी में गवाह सुभाष चन्द्र भोई एवं अखिलेश जायसवाल के समक्ष की गयी जिसमें अभियुक्त विवेक चंद्राकर के साथ अन्य नौ व्यक्तियों को एक साथ खड़ा कर पीड़िता कोदिया बाई से अभियुक्त की पहचान कराया गया। पीड़िता ने अभियुक्त विवेक चंद्राकर के उपर हाथ रखकर सही पहचान की। उक्त प्रक्रिया दो बार अपनायी गयी और दोनों बार ही पीड़िता ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त विवेक चंद्राकर को पहचाना। पहचान के लिए प्रार्थिया को पर्याप्त समय दिया गया था और कार्यवाही पुलिस की अनुपस्थिति में सम्पन्न किया गया पश्चात् अभियुक्त की शिनाख्ती मेमो प्र.पी. 12 तैयार किया गया।

30– अभियोजन साक्षी क्र. 18 के प्रतिपरीक्षण अनुसार वह विवेक चंद्राकर और रवि वर्मा कौन है उन्हें नहीं जानती। साक्षी सुभाष चन्द्र भोई एवं अखिलेश जायसवाल को भी वह नहीं जानती है। शिनाख्ती मेमो प्र.पी. 12 में

शिनाख्ती हेतु बुलाए गए व्यक्ति उसके द्वारा ही बुलवाया गया था किन्तु उक्त संबंध में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। शिनाख्ती हेतु बुलाए गए व्यक्ति अलग–अलग कद–काठी के एवं भिन्न–भिन्न कपड़े पहने हुए थे। शिनाख्ती हेतु सोने की पत्ती पुलिस वाले कहां से और किससे लाए थे इसकी जानकारी उसे नहीं है। शिनाख्ती मेमो प्र.पी. 12 एवं शिनाख्ती मेमो प्र.पी. 14 में शिनाख्ती करने वाले का नाम के कॉलम में लगा हुआ निशानी अंगूठा किसका का उल्लेख नहीं है पश्चात् साक्षी का स्वतः कथन है कि शिनाख्ती करने वाले नाम के नीचे ही अंगूठा निशानी दर्ज कराया गया है। शिनाख्ती मेमो प्र.पी. 12 एवं प्र.पी. 14 की कार्यवाही उसके द्वारा कितने बजे किया गया है इस बात का उल्लेख नहीं है।

31— निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे (अ.सा. 19) ने अपने अभिसाक्ष्य में प्रकरण में उसके द्वारा की गयी कार्यवाही को दोहराते हुए कथन किया है, कि थाना गण्डई के इश्तगासा क. 1 / 2022 धारा 102 द.प्र.सं. में जप्त मोटर सायकल को थाना छुईखदान के अपराध कमांक 242 / 2022 धारा 392, 411 भा.द.सं. में कार्यवाही करने के संबंध में प्र.पी. 16 का पत्र व्यवहार अनुविभागीय दण्डाधिकारी को किया गया। गवाह रोशनी जंघेल का बयान उसके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया। फरार अभियुक्त अवधराम ध्रुव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की गयी। गवाह शत्रुहन जंघेल का बयान दर्ज करने के पश्चात् पुलिस अधीक्षक के. सी.जी. को अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करने की अनुमति बाबत् प्र.पी. 18 का पत्र व्यवहार किया गया पश्चात् प्र.पी. 19 का अभियोग पत्र अभियुक्तगण के

विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण अनुसार रोशनी जंघेल का बयान 20–22 दिन बाद उसके द्वारा दर्ज किया गया क्योंकि साक्षी का स्वतः कथन है, कि घटना के समय वह थाना में पदस्थ नहीं था। घटना के बाद उसकी पदस्थापना थाना छुईखदान में हुयी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है, कि उसने प्रकरण में विवचेना की कोई कार्यवाही नहीं किया है तथा गवाह रोशनी जंघेल का बयान उसके बताए अनुसार दर्ज ना कर अपने हिसाब से दर्ज कर दिया था।

32– भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। जिसमें चोरी कब लूट है एवं उद्दापन कब लूट है को स्पष्ट किया गया है। इसी अधिनियम की धारा 392 में लूट के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। धारा 411 में चुराई हुई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना के बारे में प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार ''जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्दापन द्वारा या लूट द्वारा अंतरित किया गया है, और वह सम्पत्ति, जिसका आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, या जिसके बारे में आपराधिक न्यास भंग किया गया है, ''चुराई हुई सम्पत्ति'' कहलाती है, {चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग या न्यास भंग} {भारत} के भीतर किया गया हो या बाहर}।'' वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक 03.09.2022 को जब खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई को जिला घोषित किया गया उसी दिन अभियुक्तगण मोटर सायकल में सवार होकर घटना स्थल पर पहुंचे और उनमें से एक व्यक्ति प्रार्थी की मां कोदिया बाई से

आगे जाने वाले रास्ते के संबंध में पूछा और दूसरा व्यक्ति मोटर सायकल में बैठा था तभी वह व्यक्ति कोदिया बाई के गले में पहने हुए तीन पत्ती सोने की चैन को छीनकर मोटर सायकल में बैठा और तुरंत वहां से दोनों व्यक्ति मोटर सायकल में फरार हो गए।

33– घटना के तुरंत पश्चात् पीड़िता कोदिया बाई ने अपनी सहायता के लिए आवाज लगायी। उक्त घटना को पीड़िता के अतिरिक्त उसकी बहु ललिता जंघेल एवं रोशनी जंघेल ने देखा। अभियोजन साक्षी क्र. 3 ने अभियुक्तगण को डंडा लेकर दौड़ाया परन्तु उन तक पहुंच नहीं पायी इसलिए अभियुक्तगण ग्राम मैनहर रोड में आगे बढ़ गए। अभियोजन साक्षी क्र. 6 के कथनानुसार जब अभियुक्तगण उसकी सास से रास्ता पूछ रहे थे तब वह घटना स्थल के पास बाहर स्थित नहानी में नहा रही थी और घर से पीड़िता एवं लूट करने वाले अभियुक्त को देख व सुन रही थी। उसके पश्चात् कोदिया बाई के चिल्लाने पर वह भी वैसी ही स्थिति में अभियुक्तगण के पीछे भागी पश्चात् अपने पति को घटना के बारे में बतायी। घटना के तुरंत पश्चात् अभियोजन साक्षी क्र. 4 एवं अभियोजन साक्षी क्र. 7 अभियुक्तगण को पकड़ने के लिए अपने–अपने वाहन से उनके पीछे गए। उसी बीच में रोशनी जंघेल अभियोजन साक्षी क्र. 6 ने ग्राम तेंदूभाठा में कार्य कर रही मितानिन राधिका जंघेल को घटना एवं अभियुक्तगण के हुलिया के बारे में बतायी। अभियोजन साक्षी क्र. 5 ने अभियुक्तगण के हुलिया एवं घटना के बारे में जानकर बाईक सवार दो व्यक्तियों को रोका और उनका

दो बार फोटो खींचा। फोटो खींचने के पश्चात् उक्त फोटो को उसने रोशनी जंघेल के मोबाईल में भेजा। उसके पश्चात् रोशनी जंघेल ने अपने पति के मोबाईल में उक्त फोटो को भेजा। प्रार्थी द्वारा उक्त फोटो को 112 डायल कर घ टना के बारे में सूचना देकर उन्हें भेजा, जिसके आधार पर अभियुक्तगण को पकड़ा गया।

34— प्रकरण के जप्ती एवं अन्य कार्यवाहियों के साक्षीगण द्वारा अपने समक्ष कार्यवाही होने से इंकार किया है परन्तु पीड़िता एवं अभियोजन साक्षी क्र. 1 ने अपने न्यायालयीन कथन में उपस्थित दोनों अभियुक्तगण को जानना एवं पहचानना बतायी है। प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान विवादित नहीं है। अभियुक्त क्र. 1 विवेक चंद्राकर की शिनाख्ती कार्यवाही अभियोजन साक्षी क्र. 18, अभियोजन साक्षी क्र. 11 एवं अभियोजन साक्षी क्र. 12 की उपस्थिति में विधिवत् कराया गया। शिनाख्ती कार्यवाही में पीड़िता द्वारा अभियुक्त क्र. 1 विवेक चंद्राकर की पहचान लूट करने वाले व्यक्ति के रूप में की गयी। प्रकरण में जप्तशुदा सोने के आभूषण को पहचान कार्यवाही के दौरान गवाहों की उपस्थिति में छुकर पीड़िता द्वारा पहचान की गयी। अभियोजन साक्षी क्र. 13 द्वारा जप्तशुदा सोने की पत्ती का तौल पंचनामा की कार्यवाही की गयी तथा घटना स्थल का नजरी नक्शा पटवारी गोविंद जोशी अभियोजन साक्षी क्र. 17 द्वारा तैयार किया गया। स्वतंत्र अभियोजन साक्षीगण के न्यायालयीन कथनानुसार अभियुक्त क्र. 1 विवेक चंद्राकर द्वारा पीड़िता के गले में पहने हुए तीन पत्ती सोने के आभूषण को

छीनकर लूट कारित किया गया। अभियुक्त क्र. 2 रवि वर्मा की पहचान पीडिता के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र अभियोजन साक्षीगण द्वारा नहीं की गयी है परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी. 5 के अनुसार उसके कब्जे से लूट की गयी आभूषण को प्राप्त किया जाना उसके द्वारा लूट की सम्पत्ति जानते हुए उक्त आभूषण को अपने कब्जे में रखे जाने का ठोस आधार है, जिसे बचाव पक्ष द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः अवधारणीय प्रश्न क्र. 01 एवं 02 का निष्कर्ष सकारात्मक **''साबित हां''** में दिया जाता है।

अवधारणीय बिन्दु क्र.–03 का सकारण निष्कर्ष–

दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति

35– अतः संकलित समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त क्र. 1 ने घटना दिनांक 03.09.2022 के समय 14:00 बजे या उसके लगभग थाना छुईखदान जिला राजनांदगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम सुराडबरी में प्रार्थी के घर के सामने एक अन्य सहअभियुक्त रवि वर्मा के साथ मिलकर लूट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में मोटर सायकिल से उतरकर रास्ता पूछने के दौरान उसकी मां कोदिया बाई के गले में पहने माला जिसमें तीन पत्ती सोने एवं छः नग सोने का गेहूं दाना कीमती 40,000 / – को कोदिया बाई के कब्जे से बिना किसी सम्मति के बेईमानी पूर्वक सदोष अभिलाभ पाने के आशय से हटाकर लूट कारित किया एवं अभियुक्त क्र. 2 ने लूट का समान है को जानते हुए अभियुक्त क्र. 1 से उसे 3,000 / – में गिरवी

रखकर अपने कब्जे में रखा।

36— अतः अभियुक्त **क्र. 1 विवेक चंद्राकर** पिता—खेलन चंद्राकर, उम्र—23 साल, साकिन—ग्राम पेंड्रीकला, थाना—थान खम्हरिया, तहसील व जिला—बेमेतरा (छ.ग.) को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 392 सहपठित धारा 11** के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में **''दोषसिद्ध''** घोषित किया जाता है एवं **अभियुक्त क्र. 2 रवि वर्मा** पिता—युवराज वर्मा, उम्र—27 साल, साकिन—ग्राम घोटमर्रा, पुलिस चौकी—देवरबीजा, थाना—बेमेतरा, तहसील व जिला—बेमेतरा (छ. ग.) को **भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 411** के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में **''दोषसिद्ध''** घोषित किया जाता है।

37— दण्ड के विषय पर अभियुक्त को सुनने के लिए निर्णय की कार्यवाही धारा 235(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अस्थायी तौर पर कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(संजूलता देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
छुईखदान जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

पुनश्चः—

38— दण्ड के विषय पर अभियुक्तगण के अधिवक्तागण को सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा अभियुक्तगण को पारिवारिक व्यक्ति एवं घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य होने से कम से कम दण्ड देने का अनुरोध किया

तथा परिवीक्षा की मांग की। अभिलेख में संलग्न अभियुक्त क्र. 1 के पूर्व के आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 एवं परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्तागण के निवेदन को अस्वीकार करते हुए निम्नलिखित दण्डादेश पारित करती है।

39—　　　दण्डादेश—

क्र.	**अभियुक्त का नाम**	**दोषसिद्ध धारा (भारतीय दण्ड संहिता, 1860)**	**कारावास**	**अर्थदण्ड (रूपये में)**	**अर्थदण्ड की अदायगी के व्यतिक्रम पर कारावास (सश्रम)**
01	विवेक चंद्राकर पिता—खेलन चंद्राकर	धारा 392 सहपठित धारा 34	3 वर्ष	3000 / — (अक्षरी तीन हजार रूपए)	9 माह
02	रवि वर्मा पिता युवराज वर्मा	धारा 411	1 वर्ष	2000 / — (अक्षरी दो हजार रूपए)	3 माह

40—　　　अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की अदायगी में व्यतिक्रम पर दिया गया कारावास मुख्य दण्डादेश के अतिरिक्त होगा।

41—　　　धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत **अभियुक्त क्र. 1**

विवेक चंद्राकर द्वारा अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि **निरंक** है एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 03.04.2024 तक **कुल 574 दिवस** है, जिसे मुख्य दण्डादेश में समायोजित किया जावे। उपरोक्त संबंध में अभियुक्त क्र. 1 का पृथक से प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे, जो निर्णय का भाग होगा।

42– धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत **अभियुक्त क्र. 2 रवि वर्मा** द्वारा अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि **निरंक** है एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि दिनांक 07.09.2022 से दिनांक 13.09.2024 **कुल 06 दिवस** है, जिसे मुख्य दण्डादेश में समायोजित किया जावे। उपरोक्त संबंध में अभियुक्त क्र. 2 का पृथक से प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जावे, जो निर्णय का भाग होगा।

43– अभियुक्त क्र. 1 विवेक चंद्राकर इस प्रकरण में रिमांड स्तर से अभिरक्षा में है। अभियुक्त क्र. 1 द्वारा प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलका स्वतंत्र कर भारमुक्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त क्र. 1 को गिरफ्तार कर सजा भुगताने हेतु कारागार भेजा जावे।

44– अभियुक्त क्र. 2 रवि वर्मा इस प्रकरण में रिमांड स्तर से जमानत पर है। अभियुक्त क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत पूर्व के जमानत मुचलका स्वतंत्र कर भारमुक्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त क्र. 2 को

गिरफ्तार कर सजा भुगताने हेतु कारागार भेजा जावे।

45– प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त अवधराम ध्रुव के फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

46– अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान अनुसार दिनांक 06.03.2024 को पृथक–पृथक निष्पादित जमानत एवं स्वयं का मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

47– निर्णय की एक–एक प्रति अभियुक्तगण को पृथक–पृथक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 363 (1) के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जावे।

48– निर्णय की एक प्रति उपजेल, खैरागढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को प्रेषित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(संजूलता देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
छुईखदान जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

SANJULATA DEWANGAN
Digitally signed by SANJULATA DEWANGAN
Date: 2024.04.03 18:56:47 +0530

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(संजूलता देवांगन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
छुईखदान जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

SANJULATA DEWANGAN
Digitally signed by SANJULATA DEWANGAN
Date: 2024.04.03 18:56:51 +0530